12

(6) 12:39 PM 21/4/14

प्ररूप–2 क
(नियम 4 देखिये)

नामनिर्देशन–पत्र

लोक सभा के लिए निर्वाचन

नीचे भाग 1 या भाग 2, इनमें से जो भी लागू न हो, उसे काट दें

भाग–1

(मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किया जाना है)

मैं लोक सभा के निर्वाचन के लिए 18, सिवान संसदीय निर्वाचन–क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ ।

अभ्यर्थी का नाम गणेश राम

पिता/माता/पति का नाम स्व० देवनाथ राम

उसका डाक का पता ग्राम - महानगर, पो० - सरहरा, थाना-सिसवन, जिला-सिवान

उसका नाम 18, सिवान संसदीय निर्वाचन क्षेत्र [में समाविष्ट 109, दरौंदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र] की निर्वाचक नामावली के भाग सं० 102 में क्रम सं० 927 पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम विजय कुमार यादव है जो 18, सिवान संसदीय निर्वाचन क्षेत्र [में समाविष्ट 105, सिवान विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र] की निर्वाचक नामावली के भाग सं० 105 में क्रम सं० 648 पर प्रविष्ट है ।

तारीख 21.04.14.

Vijay Kumar Yadav
(प्रस्थापक के हस्ताक्षर)

भाग–2

(मान्यताप्राप्त दल द्वारा खड़े न किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किये जाने के लिए)

हम घोषणा करते हैं कि हम लोक सभा के निर्वाचन के लिए ....संसदीय निर्वाचन–क्षेत्र से निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित करते हैं ।

अभ्यर्थी का नाम ....

पिता / माता / पति का नाम ....

उसका डाक पता ....

उसका नाम ....संसदीय निर्वाचन क्षेत्र *(में समाविष्ट.......................
....................विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग संख्यांक....................में क्रम संख्यांक .... पर प्रविष्ट है ।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस संसदीय निर्वाचन–क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उपदर्शित हैं, दर्ज हैं और हम इस नामनिर्देशन के नीचे प्रतीक स्वरूप अपने हस्ताक्षर करते हैं ।

प्रस्थापकों की विशिष्टियाँ और उनके हस्ताक्षर

प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली संख्यांक						
क्रम सं0	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र घटक का नाम	निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक	उस भाग में क्रम संख्या	पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

कृपया ध्यान दें : प्रस्थापक के रूप में निर्वाचन–क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिए ।

भाग–3

मैं, भाग 1/~~भाग 2~~ (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि –

(क) मैंने ....42.......... वर्ष की आयु पूरी कर ली है ।

[नीचे ख (i) या ख (ii) जो लागू न हो उसे काट दें]

(ख) **(i)** मुझे इस निर्वाचन में ....बहुजन समाज पार्टी........ दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राज्य में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल/~~राज्य दल~~ है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे, आवंटित किया जाए ।

या

~~**(ii)** मुझे इस निर्वाचन में .... दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है / मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें) और मैंने जो प्रतीक चुने हैं वे अधिमान क्रम में~~

(i) ....लागू नहीं........

(ii) ....लागू नहीं........

(iii) ....लागू नहीं........ हैं।

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर ....देवनागरी लिपि (हिन्दी)..... (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है ।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूँ और निरर्हित भी नहीं हूँ ।

* मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं ...अनुसूचित......... **जाति/~~जनजाति~~ का सदस्य हूँ जो ....बिहार.......राज्य के उस राज्य में के ....(क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचित ***जाति/~~जनजाति~~ है ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे लोक सभा के लिए निर्वाचन कराए जा रहे साधारण निर्वाचन/~~उप–निर्वाचन~~ में दो से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में ****नाम निर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा ।

तारीख ...21.04.14.

Ganesh Ram
(अभ्यर्थी का हस्ताक्षर)

---

* जम्मू–कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और द्वीप तथा लक्षद्वीप की दशा में "समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्र" शब्द काट दीजिए ।

** यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दीजिए ।

*** लागू न होनेवाले शब्द काट दीजिए ।

**** **जम्मू–कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चण्डीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप की दशा में लागू नहीं होगा ।**

कृपया ध्यान दें –"मान्यताप्राप्त राजनैतिक" दल से निर्वाचन अयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के अधीन संबंधित राज्य में मान्यताप्राप्त कोई राजनैतिक दल अभिप्रेत है ।

भाग–3 क

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा)

क्या अभ्यर्थी को–

(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की–

(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए ; या हाँ / नहीं

(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए,

सिद्धदोष ठहराया गया है ; या नहीं

(ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है

यदि उत्तर "हाँ" में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा : नहीं

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट

संख्यांक...... लागू नहीं ......

(ii) पुलिस थाना

(थाने)...... लागू नहीं ......जिला (जिले)......राज्य......

(iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था लागू नहीं

......

(iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख/ (तारीखें) लागू नहीं

......

(v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था लागू नहीं

......

(vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारवासों) की अवधि और/या जुर्माने (जुर्मानो) की राशि उपदर्शित करें

...... लागू नहीं ......

(vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें)...... लागू नहीं ......

(viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरूद्ध कोई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण फाइल किए गए थे : हाँ/नहीं

(ix) फाइल की गई अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टियां...... नहीं ......

(x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे...... नहीं ......

(xi) क्या उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वे लंबित है...... लागू नहीं

......

(xii) यदि उक्त अपील (अपीलो)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो–

(क) निपटारे की तारीख (तारीखें)...... लागू नहीं

(ख) पारित आदेश (आदेशों की प्रकृति)...... लागू नहीं

स्थान :...... सिवान ......

तारीख : 21.04.14.

Ganesh Ram

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

---

* लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

भाग – 4

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नाम निर्देशन–पत्र की क्रम सं० – 06

यह नामनिर्देशन मुझे/मेरे कार्यालय में 21-04-14 (तारीख) को 12:39 P.M. बजे

* अभ्यर्थी/प्रस्थापक द्वारा परिदत्त किया गया।

तारीख 21-04-14 रिटर्निंग आफिसर

* जो शब्द लागू न हो उसे काट दीजिए।

भाग – 5

नामनिर्देशन–पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन–पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम–1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ : –

तारीख .... रिटर्निंग आफिसर

(क्रमशः)

GOVT. OF BIHAR
Registration, Excise & Prohibition Deptt
SIWAN SCORE, SIWAN

COURT FEE

Authorization No. 2497

भारत INDIA Rs. 0000100 BIHAR JUDICIAL

NOTARY

''प्ररूप 26''

(नियम 4क देखिए)

SL. No. 7
Date 19.4.14.

....

निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) ...18, सिवान, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग–क

मैं गणेश राम **पुत्र/~~पुत्री~~/~~पत्नी~~ स्व० देवनाथ राम .... आयु 42 वर्ष, जो ग्राम- महानगर, पो०- सरहरा थाना- सिसवन, जिला- सिवान, पिन कोड- 841203. .... (डाक का पूरा पता लिखें) का/~~की~~ निवासी हूं, और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं/~~करती हूं~~, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूं/~~करती हूं~~:–

(1) मैं बहुजन समाज पार्टी ...... (**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/**एक ~~स्वतंत्र~~ अभ्यार्थी के रुप में लड़ रहा है।

(**जो लागू न हो उसे काट दे)

(2) मेरा नाम 109, दरौंदा, बिहार ...... (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं 102. .... के क्रम सं 927 .... पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. 9430205375 .... है/हैं और मेरा ई–मेल आईडी (यदि कोई हो तो) .... है।

NOTARY

I identify the deponent who put his signature in my presence.
Advo.
19/4/2014

19.4.14.

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय–कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति :

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपए में)
1.	स्वयं	AQNPR 5929E	शुन्य	शुन्य
2.	पति या पत्नी	शुन्य	शुन्य	शुन्य
3.	आश्रित–1	शुन्य	शुन्य	शुन्य
4.	आश्रित–2	शुन्य	शुन्य	शुन्य
5.	आश्रित–3	शुन्य	शुन्य	शुन्य

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूं जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं। शुन्य

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का /की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/~~करेगी~~ :– शुन्य

(i) निम्नालिखत मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं। नहीं

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	सिवान मु० थाना काण्ड सं० 63/09.
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	धारा 133 R.P. Act एवं सुसंगत धाराओं में
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	मुख्य न्याय दण्डा० सिवान संज्ञान आदेश दि०
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	आरोप विरचना हेतु लम्बित है।

NOTARY
AWADHESH KUMAR SINHA
Reg No. 7230/92
GOVT OF BIHAR
Kumar
19.4.14

(ड.)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	लागू नहीं
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	नहीं

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरूद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है {पूर्वोक्त शून्य

मदद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न}:-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शून्य
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	शून्य
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरूद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के ब्यौरे	शून्य

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43)की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए ~~सिद्धदोष ठहराया गया है~~/~~नहीं ठहराया गया~~ है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश ~~दिया गया~~ है/नहीं दिया गया है : लागू नहीं होता

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	शून्य
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	शून्य

NOTARY GOVT OF BIHAR AWADHESH KUMAR SIWAN Regd No.- 7339/93

19.5.15.

(ग)	अधिरोपित दंड	शून्य
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरूद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	शून्य

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 – संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 – जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने है।

टिप्पण 3 – सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों मे चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 – यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 – रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित – 1	आश्रित – 2	आश्रित – 3
(i)	हाथ में नकदी	25,000/-	5000/-	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी है), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	(1) भा० स्टेट बैंक प्रधानशाखा सिवान SB A/C No 30445907611 रकम- 5108.64 (2) भा० स्टेट बैंक श्रीनगर SB A/c No. 31596403953 रकम- 7994/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	कंपनियों/ पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	(3) उ० बि० ग्रामीण बैंक चैनपुर। SB A/C No 10802110 30021655 रकम- 16,000/- (4) भा० स्टेट बैंक श्रीनगर Term Deposite A/C No- 31997067317 रकम- 1,75468 रुपये	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

शून्य

NOTARY AWADESH KUMAR SIWAN GOVT OF BIHAR Reg No. 7230/92

19.4.14.

(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	भा. जीवनबीमा निगम, बिहार पॉलिसी नं- 537493656. प्रीमियम-12010/- सरेन्डर वैल्यू 54631/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक ,रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	सोने का चैन 10 ग्राम सोने की अंगूठी 5 ग्राम कीमत-45000/-	सोने का आभूषण 40 ग्राम कीमत-1,20,000/- चाँदी का आभूषण 200 ग्राम कीमत-25000/-	शून्य	शून्य	शून्य
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ix)	समग्र कुल मूल्य					

आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1– संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2– प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं0	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित–1	आश्रित–2	आश्रित–3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	खाता नं० 134 151,220,184 कुल रकबा 44 कट्ठा में हिस्सा-11 कट्ठा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	11 कट्ठा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख 16.06.12	10 धुर खाता नं० 434 सर्वे नं० 5245	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	दो लाख तिरसठ हजार रुपये	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

NOTARY
Reg No.-7233/...
GOVT OF BIHAR
19.4.14.

	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	साढ़े तीन लाख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	वणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(IV)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

NOTARY
GOVT OF BIHAR

	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिमार्ण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(V)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(VI)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	साढ़े तीन लाख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :–

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्र० सं०	विवरण	स्वंय	पति या पत्नी	आश्रित –1	आश्रित –2	आश्रित –3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दायित्वों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(II)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

NOTARY
AWADHESH KUMAR
SIWAN
Reg No.
GOVT OF BIHAR
Kumar
4.14

	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	टेलीफोन/मोबाईल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	आय–कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	धनकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सेवाकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	नगरपालिका/संपति कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विक्रयकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(9) वृति या उपजीविका के ब्यौरे : राजनीति तथा सामाजिक कार्यकर्ता।

(क) स्वयं एवं अधिवक्ता तथा अध्यापन

(ख) पति या पत्नी गृहिणी

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है :–

एम०ए० (1999) एवं एल.एल.बी. (2002) पटना विश्वविद्यालय, पटना से क्रमशः प्राचीन इतिहास एवं पुरातत्व विभाग एवं पटना लॉ कॉलेज, पटना

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रय के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रय पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

NOTARY
AWADHESH KUMAR SINHA
Reg No - 7230/
GOVT OF BIHAR
4.14

भाग–ख

(11) भाग–क के (1) से (10) तक में दिए गये ब्यौरे का उद्धहरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री / ~~श्रीमती / कु०~~ गणेश राम
2	डाक का पता	ग्राम-मझनगर, पो०-धरहरा थाना-सिसवन, जिला-सिवान
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	18, सिवान, बिहार
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वंतत्र लिखें)	बहुजन समाज पार्टी
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	शून्य
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न)	एक
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियमत्र 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	शून्य

7		.... का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय
	(क) अभ्यर्थी	AONPR 5929E	शून्य	शून्य
	(ख) पति या पत्नी	शून्य	शून्य	शून्य
	(ग) आश्रित	शून्य	शून्य	शून्य

8	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपये में)					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित–1	आश्रित–2	आश्रित–3
	(क) जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	[illegible]	1,50,000/	शून्य	शून्य	शून्य

NOTARY
AWADHESH KUMAR SINHA
Reg No. 7239/92
GOVT OF BIHAR

ख	स्थावर आस्तियां						
	I.	स्वअर्जित स्थावर संपति की क्रय कीमत	2,63,000/-	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	II.	क्रय के पश्चात् स्थावर संपति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	III.	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	3,50,000/-	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
		(क) स्वर्जित आस्तियां (कुल मूल्य) (ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	10 धुर कीमत - 3,50,000/- 11 कट्ठा कीमत - 3,00,000/-	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
9		दायित्व	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
10		ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है	लागू नहीं होता				
	(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य

NOTARY
AWADHESH KUMAR
SIWAN
Regd No- 7239/90
GOVT OF BIHAR
19.4.14

117

11		उच्चतम शैक्षिक अर्हता : एम०ए०, वर्ष- 1999 प्राचीन इतिहास एवं पुरातत्व विभाग, पटना विश्वविद्यालय पटना (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)

सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय–वस्तु मेरी सर्वोतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :–

(क) मेरे विरूद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामलें से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 19.04.14. को सत्यापित किया गया।

Ganesh Ram

अभिसाक्षी

I identify the deponent who put his signature in my presence
Sudama Tiwari
Adv
13/4/2014
G.N. 1313/99

NOTARY
Kumar 19.4.14
GOVT OF BIHAR
Reg No.-

टिप्पण 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3:00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ–साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण – 5 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121–2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामाले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ–पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण–6 शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

"मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायें है/हैं 9430205375

मेरा ई–मेल आई०डी० (अगर कोई हो) है लागू नहीं

एवं मेरा सोशल मीडिया एकांउट्स (अगर कोई हो) है शून्य

टिप्पण–7 शपथ पत्र के पारा 8 में वित्तीय संस्थानों के प्रति दायित्वों में विदेशी बैकों/संस्थाओं में जमा/निवेश सहित सूचना दें।